रजिस्ट्री सं० डी०—(डी० एन०)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

17/2/8

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26, 1986 (वैशाख 6, 1908)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 26, 1986 (VAISAKHA 6, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	333
भाग I—खण्ड-2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	481
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	531
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड-1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II—खंड-3-उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) . . .	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश . . .	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	16671
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . .	287
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	435
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . .	69
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

1—31 GI/86

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	333
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	481
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	531
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTON 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	16071
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	287
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	435
PAR IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	69
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. Not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 1986

सं० 41-प्रेज/86--राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री मोहम्मद इस्राईल, (मरणोपरान्त)
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला बेटियाह ।

श्री सत्य नारायण प्रसाद, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 299,
जिला बेटियाह ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

14 सितम्बर, 1983, को बाल्मीकि नगर के फोरेस्ट रेंज अधिकारी ने थाना बाल्मीकी नगर को लिखित सूचना भेजी कि नेपाल के मुन्ना खां डाकू ने अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर लेकर भारत की सीमा (मदनपुर वन बीट सं० 26) में प्रवेश किया है तथा पेड़ों को काटने के बाद भूमि जोत रहा है। स्थानीय वन अधिकारी वहां गये, ट्रेक्टर के चालक तथा खलासी को गिरफ्तार करके उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिये बाल्मीकि नगर पुलिस थाने में पेश किया ।

बालमीकि नगर पुलिस थाने में पुनः सूचना प्राप्त हुई कि अपराधी मुन्ना खां ने प्रतिशोध की भावना से दो वन रक्षकों का अपहरण कर लिया तथा उन्हें नेपाल क्षेत्र की ओर ले गया। बाल्मीकि नगर के प्रभारी अधिकारी श्री मोहम्मद इस्राईल सशस्त्र बल टुकड़ी और होम गार्ड के चार जवानों के साथ वन रक्षकों को छुड़ाने के लिये तुरन्त उस स्थान पर पहुंचे। घने जंगल में से गुजरते हुए उन्होंने अपहृत वन रक्षकों सहित मुन्ना खां तथा उसके दल को देखा। पुलिस उप निरीक्षक इस्राईल ने उन्हें ललकारा और अपहृत व्यक्तियों को छोड़ने के लिये कहा। इस पर, मुन्ना खां ने अपने आदमियों को सचेत किया और उसके 40-50 साथी घातक हथियार लेकर आये और पुलिस दल पर आक्रमण किया। पुलिस ने भी आत्म रक्षा में गोली चलाई तथा दोनों वन रक्षकों को छुड़ा लिया। अपराधियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी के कारण उप निरीक्षक मोहम्मद इस्राईल, कांस्टेबल सत्य नारायण प्रसाद तथा होम गार्ड का एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ। दूसरी ओर मोहम्मद मोहम्मदहीन नामक अपराधी घटनास्थल पर ही मारा गया।

इस घटना में, श्री मोहम्द इस्राईल, पुलिस उप निरीक्षक, तथा श्री सत्य नारायण प्रसाद, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता साहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं, तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 सितम्बर, 1983 से दिया जायेगा ।

सं० 42-प्रेज/86—राष्ट्रपति केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री वेद प्रकाश तिवारी, (मरणोपरान्त)
उप निरीक्षक, का०
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एकक,
ए० एस० पी० दुर्गापुर ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिये पदक प्रदान किया गया ।

28 दिसम्बर, 1983 को श्री वी० पी० तिवारी, उप निरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के छापामार दल के साथ, सहायक उप निरीक्षक, वी० सी० दास का पता लगाने के लिये नितुरिया थाने गये जहां बताया गया था कि उन्होंने अवैध रूप से खनन किये गये कोयले से भरा एक ट्रक पकड़ने के बाद नितुरिया ग्राम वासियों द्वारा उनका घेराव कर लिया गया है। जैसे ही श्री तिवारी के नेतृत्व वाला दल थाने के नजदीक पहुंचा उन्होंने देखा कि लगभग 700-800 व्यक्तियों की भीड़ ने थाने को घेरा हुआ है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के दल को देखकर भीड़ क्रोधित हो गई और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के दल पर ईंट और अन्य हथियार फेंकने लगी। फिर भी, भीड़ का पीछा करके भगा दिया गया और उप निरीक्षक तिवारी श्री दास को बचाने के लिये थाने के अन्दर गये। जब श्री तिवारी और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक थाने से बाहर आये तो एक बार फिर भारी पथराव हुआ और अपराधों में प्रयोग आने वाले कुछ हथियार भी उन पर फेंके गये। इस परिणामस्वरूप, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पांच कार्मिक जख्मी हो गये। इस बीच एक हथियार श्री तिवारी के सिर पर आकर लगा और वे गिर गये। इससे उनकी खोपड़ी पर काफी गहरा जख्म हो गया जिससे दिमाग से नेजों से रक्त स्राव हुआ और लगभग उसी समय श्री तिवारी का देहान्त हो गया। श्री तिवारी के पास एक कुल्हाड़ी और लोहे का हथौड़ा पड़ा मिला ।

श्री वेद प्रकाश तिवारी, उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 दिसम्बर, 1983 से दिया जायेगा ।

सं० 43-प्रेज/86--राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सकल देव सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 1511, सी० पी०,
थाना—सराय अकिल,
जिला इलाहाबाद ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

7 मई, 1984 को कान्स्टेबल सकल देव सिंह, जिन्हें सदर, इलाहाबाद की अदालत में चल रहे एक मुकदमें की पैरवी में तैनात किया गया था, अदालत में पहुंचने के लिये बस में चढ़े। बस में लगभग 75 अन्य यात्री भी थे। बस खचाखच भरी हुई थी और उसकी छत पर अनाज तथा साइकिलों समेत काफी सामान भी लदा हुआ था। जब बस भगवतपुर गांव के निकट पहुंची तो उसे बगल की एक कच्ची सड़क पर मुड़ना था, क्योंकि मुख्य सड़क की एक पुलिया क्षतिग्रस्त थी। जब बस उसकी ओर मुड़ रही थी, इसकी छत असरावल कलां फीडर के उच्च कर्षण विद्युत तार को छू गई। भीषण विपत्ति का आभास करके बस का ड्राइवर बस से कूद पड़ा और चिल्ला कर कहा कि बस में बिजली से आग लग गई है और यात्रियों को बस से बाहर आ जाना चाहिये। इस चेतावनी से यात्री घबरा गये और आतंकित हो गये और बस से बाहर निकलने के लिये एक दूसरे को धकेलने लगे। इस बीच बिजली का तार टूट कर बस के बाईं ओर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे बिजली के तार से छू कर मरने का खतरा पैदा हो गया। समय की गंभीरता को देखते हुए कांस्टेबल सकलदेव सिंह तुरन्त उठ और निजी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए उन्होंने अपने सहयात्रियों को उठा कर उनकी रक्षा के लिये उन्हें सामने की खिड़की से बाहर निकालना शुरू कर दिया। बस यात्रियों को बचाते-बचाते उन्होंने देखा कि पूरी बस में आग लग चुकी है। यदि वे चाहते तो अपने बचाव के लिये बस से बाहर छलांग लगा सकते थे, किन्तु उन्होंने बस में फंसे 4 बच्चों की जान बचाना बेहतर समझा। उन्होंने समय नष्ट किये बिना चारों बच्चों को बस से बाहर फेंका। चौदह सह-यात्रियों को उनकी सुरक्षा के लिये उन्हें बाहर निकालने की क्रिया में श्री सकल देव सिंह ने अपनी सारी शक्ति लगा दी और वे कुछ झुलस भी गये। दुर्भाग्यवश उनका शरीर भूमि पर पड़ी एकलाश से छू गया, जिसमें बिजली का करंट आ रहा था और बिजली के करण्ट के कारण घटना स्थल पर ही वे वीरगति को प्राप्त हो गये। इस घटना में कांस्टेबल सकलदेव सिंह सहित 35 व्यक्ति मारे गये तथा सारा सामान जलकर राख हो गया।

इस दुर्घटना में श्री सकल देव सिंह, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 मई, 1984 से दिया जायेगा।

सं० 44/प्रेज/86—राष्ट्रपति मणिपुर राइफल्स के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अहन्थेम रोमेन कुमार सिंह,
कमांडेन्ट, पहली बटालियन,
मणिपुर राइफल्स।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

8 दिसम्बर, 1984 को मणिपुर के मुख्य मंत्री सड़क के रास्ते लिटान और फुंगियार की ओर जा रहे थे। नागा सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैंड (एन० एस० सी० एन०) के खतरे के कारण श्री अहन्थेम रोमेन कुमार सिंह, कमांडेन्ट, पहली बटालियन, मणिपुर राइफल्स सहित सशस्त्र मार्ग रक्षकों की एक प्लाटून की ड्यूटी पर तैनात किया गया था। लेशी गांव को पार करने के बाद पूरे सुरक्षा दल पर उग्रवादियों ने घात लगाकर स्वचालित हथियार, हथगोलों तथा मार्टरों से जबरदस्त गोलीबारी की और सुरक्षा दल को भारी नुकसान पहुंचाया। जैसे ही कमांडेंट की जीप पर गोलियां चलाई गईं, वे बाहर कूदे और सड़क के दाईं ओर मोर्चा संभाला तथा अपनी पिस्तौल से जवाबी गोली चलाई। अपनी जान के खतरे के बावजूद सुरक्षा दल गोलियों की बौछार से गुजरकर वी० आई० पी० के स्थान की ओर रेंगकर बढ़ा। जब कुछ पुलिस कार्मिक मुख्य मंत्री को आवरण दे रहे थे तो अन्य उन्हें जीप से उतारकर सुरक्षित स्थान पर ले आये। इसके बाद श्री अहन्थेम रोमेन कुमार सिंह अपने दल के साथ आक्रमण करते हुए पहाड़ी की ओर बढ़े जहां से गोलियां चलाई जा रही थीं परन्तु उग्रवादी घने जंगल में से बचकर भागने में सफल हो गये।

इस मुठभेड़ में श्री अहन्थेम रोमेन कुमार सिंह, कमांडेंट ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 दिसम्बर, 1984 से दिया जायेगा।

सं० 45/प्रेज/86—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री निर्मल चन्द्र ढोंडियाल,
पुलिस सहायक अधीक्षक,।

श्री माणिक लाल प्रधान,
कांस्टेबल सं० 734,
बी० एम० पी० 1, रांची।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

17 मई, 1983 को बेलागंज थाने में सूचना प्राप्त हुई कि रणजीत भारती के कुख्यात अपराधियों के गिरोह ने, बाराबार के पहाड़ी क्षेत्र में शिविर लगाया हुआ है और खड़गपुर गांव पर हमला करने और लूटने की योजना बना रहा है। श्री निर्मल चन्द्र ढोंडियाल पुलिस सहायक अधीक्षक के नेतृत्व में एक शक्तिशाली पुलिस दल संगठित किया गया। छापामार दल उसी रात को खड़गपुर गांव पहुंच गया। डाकुओं की कानाफूसी सुनकर छापामार दल ने एक सूखी खाई में मोर्चा संभाला और उन्हें अपनी पहचान बताने के लिये ललकारा। चेतावनी का जवाब गोलियों की बौछार से दिया गया। पुलिस दल ने उन्हें फिर से आत्म-समर्पण करने और गोलीबारी बन्द करने के लिये कहा लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। अपराधियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिये एक रोशनी करने वाले सैल का विस्फोट किया गया। इस रोशनी में लगभग 15 डाकुओं को देखा गया, जो सभी राईफलों, बन्दूकों इत्यादि से लैस थे। कान्सटेबल माणिक लाल प्रधान एक अन्य सशस्त्र कान्स्टेबल और एक सार्जेन्ट मेजर के साथ, बेहतर स्थान पर जाने के लिये खाई से बाहर निकले। इस चेष्टा में कांस्टेबल प्रधान की जांघ में गोलियां लगीं। पुलिस ने आत्म रक्षा में गोली चलाई। गोली बारी में रणजीत भारती और उसका भाई उमल भारती पुलिस की गोली लगने से गिर गये। रोशनी करने वाली पिस्तौल के दूसरे राउण्ड की रोशनी में इसका पता चला, जब कुछ अपराधियों को भागते हुए देखा गया।

इस मुठभेड़ में, श्री निर्मल चन्द्र ढोंडियाल, पुलिस सहायक अधीक्षक और श्री माणिक लाल प्रधान, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 मई, 1983 से दिया जायेगा।

सं० 46/प्रेज/86—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री ज्ञान सिंह
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र)
आगरा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

4 फरवरी, 1984 को यह सूचना मिली कि करतार मल्लाह का गिरोह खादरपुरा गांव के श्री गोवर्धन लाल के घर पर डाका डालने और उसके लड़के का अपहरण करने की योजना बना रहा है। ज्ञान सिंह, पुलिस अधीक्षक, आगरा ने छापामार दल गठित किया और श्री गोवर्धन लाल के घर की ओर रवाना हुए। उन्होंने दल को छोटे छोटे दलों में बांटा और स्वयं घर की छत पर मोर्चा संभाला। अन्य दलों को घर के अन्दर, पड़ोस के मकानों की छतों पर और ट्यूबवैल पर तैनात किया गया। लगभग रात के आठ बजे अपराधी आये और उन्होंने घर में घुसने की चेष्टा की। किन्तु पुलिस अधीक्षक, ज्ञान सिंह ने उन्हें आत्म समर्पण करने के लिये ललकारा। अपराधियों ने जवाब में उन पर गोलियां चलाई और वे बाल-बाल बच गए। श्री ज्ञान सिंह ने गोली का जवाब गोली से दिया और डाकुओं को आड़ लेनी पड़ी। गिरोह के नेता ने अपने साथियों की गोलियों की आड़ में सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, श्री ज्ञान सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल पर हावी होने की निष्फल कोशिश की किन्तु श्री ज्ञान सिंह ने करतार मल्लाह को गोली का निशाना बनाया और वह गिर पड़ा। घर के अन्दर छिपे पुलिस दल ने श्री सिंह को गोलियों की आड़ में लिये रखा। डाकू चिल्लाये कि मुखिया को गोली लगी है और तुरन्त डाकुओं द्वारा गोली चलाया जाना बन्द कर दिया गया, तथा शेष अपराधियों का पीछा करने के लिये पुलिस दल को तैनात किया गया। खोज बीन करने पर पता चला कि मुठभेड़ में करतार मल्लाह व उसके छः साथी मारे गये। उनके कब्जे से एक सेमी आटोमेटिक इंगलिश राईफल, फैक्टरी निर्मित .315 बोर की दो बन्दूकें, फैक्टरी निर्मित एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक, दो एस० बी० बी० एल० विदेशी बन्दूक, एक एस० बी० बी० एल० देसी बन्दूक तथा भारी मात्रा में गोला बारूद मिला।

इस मुठभेड़ में, श्री ज्ञान सिंह, पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 फरवरी, 1984 से दिया जायेगा।

सं० 47/प्रेज/86—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री जैनुद्दीन खान,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना बेलागंज, जिला गया।

श्री जानकी प्रसाद गुप्ता,
सार्जेन्ट मेजर, गया।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

17 मई, 1983 को बेलागंज पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी, श्री जैनुद्दीन खान को सूचना मिली कि रणजीत भारती का कुख्यात गिरोह बाराबार के पहाड़ी क्षेत्र में शिविर लगाये हुए है तथा डकगपुर गांव पर आक्रमण करने और लूटने की योजना बना रहा है। सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शक्तिशाली पुलिस बल का गठन किया गया। छापामार दल उसी रात डकगपुर गांव पहुंचा। डाकुओं की कानाफूसी सुनकर, पुलिस दल ने सूखी खाई में मोर्चा संभाला तथा उन्हें सामने आने के लिए ललकारा ललकार के जवाब में गोलियों की बौछार हुई। पुलिस दल ने उन्हें पुनः आत्म समर्पण करने तथा गोली बारी बन्द करने के लिये कहा परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। अपराधियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिये रोशनी करने वाले एक सेल का विस्फोट किया गया। इसकी रोशनी में लगभग 15 डाकुओं को देखा गया जो राइफलों, बन्दूकों इत्यादि से लैस थे। सार्जेन्ट मेजर जानकी प्रसाद गुप्ता तथा अन्य कान्स्टेबल बेहतर स्थान पर जाने के लिये खाई से बाहर निकले। इस चेष्टा में कान्स्टेबल की जांघ में गोलियां लगीं। पुलिस ने आत्म रक्षा में गोली चलायी। गोलियां चलने के दौरान रणजीत भारती तथा उसका भाई उमल भारती पुलिस की गोलियां लगने से गिर गये। रोशनी करने वाली पिस्तौल के दूसरे राउण्ड की रोशनी में इसका पता लगा, जब कुछ अपराधियों को भागते हुए देखा गया।

इस मुठभेड़ में, श्री जैनुद्दीन खान, पुलिस उप निरीक्षक तथा श्री जानकी प्रसाद गुप्ता, सार्जेन्ट मेजर ने उत्कृष्ट, वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 मई, 1983 से दिया जायेगा।

सं० 48/प्रेज/86—राष्ट्रपति मणिपुर राइफल्स पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री वाहेंगबम धिरेन सिंह,
हैड कान्सटेबल, मणिपुर पुलिस।

श्री पोटसंगबम गोपाल सिंह,
लांस नायक सं० 13081
पहली बटालियन मणिपुर राईफल्स

श्री जी० शिगबा रोंगमेई,
कांस्टेबल सं० 2166

श्री गोटिमयुम इबोचौबा शर्मा,
कान्सटेबल नं० 2094

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

8 दिसम्बर, 1984 को मणिपुर के मुख्यमंत्री सड़क से लिटन और फुंगबार की ओर जा रहे थे। नागालैंड की नागा सोशलिस्ट काउन्सिल (एन० एस० सी० एन०) के खतरे के कारण हैड कान्सटेबल वाहेंगबम धिरेन सिंह, लांस नायक पोटसंगबम गोपाल सिंह, कान्सटेबल जी० शिगबा रोंगमेई और श्री गोटिमयुम इबोचौबा शर्मा सहित सशस्त्र मार्ग रक्षकों की एक प्लाटून को ड्यूटी पर तैनात किया गया था। लेशी गांव को पार करने के बाद सम्पूर्ण सुरक्षा बल पर उग्रवादियों ने घात लगाकर स्वचालित हथियारों, हथगोलों और मोर्टर से जबरदस्त गोली बारी की और सुरक्षा बल को भारी नुकसान पहुंचाया। मुठभेड़ में दो लांस नायक और दो राइफल मैन गोली लगने से घायल हो गये और उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। 6 राईफल मैन भी घायल हो गये। उप महानिरीक्षक (पर्वतीय) जो सुरक्षा दल के साथ थे, के हथ गोले की छिलरनों से घाव हो गये। जैसे ही कमाण्डेन्ट की जीप पर गोलियां चलाई गईं, वे बाहर कूदे और सड़क के बायीं ओर मोर्चा संभाला और अपनी पिस्तौल से जवाबी गोली चलाई। जान के लिये भारी खतरे के बावजूद ये अधिकारी जवान गोलियों की बौछार से गुजरकर वी० आई० पी० के स्थान की ओर रेंगकर बढ़े। श्री धिरेन सिंह, हैड कान्स्टेबल, श्री पी० गोपाल सिंह, लांस नायक, श्री जी० आई० शर्मा कान्स्टेबल, (ड्राइवर) और श्री जी० एस० रोंगमई, कान्सटेबल ने मुख्य मंत्री को आवरण दिया जबकि दूसरे व्यक्ति उन्हें जीप से उतार कर सुरक्षित स्थान पर ले गये। उसके बाद मणिपुर राईफल्स की प्रथम बटालियन के कमांडेंट अपने दल के साथ आक्रमण करते हुए पहाड़ी की ओर बढ़े, जहां से गोलियां चलाई जा रही थीं लेकिन उग्रवादी घने जंगल में से बचकर भागने में सफल हो गये।

इस मुठभेड़ में श्री वाहेंगबम धिरेन सिंह, हैड कान्सटेबल, श्री पोटसंगबम गोपाल सिंह, लांस नायक, श्री जी० शिगबा रोंगमेई, कान्सटेबल और श्री गोटिमयुम इबोचौबा शर्मा, कान्सटेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 दिसम्बर, 1984 से दिया जायेगा।

के० सी० सिंह, राष्ट्रपति का उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 अप्रैल 1986

संकल्प

सं० 20012/1/84-हिन्दी-2--भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 जून तथा 30 सितम्बर, 1985 और 13 मार्च, 1986 के संकल्प सं० 20012/1/84-हिन्दी-2 के अनुक्रम में श्री किशन चन्द अग्रवाल को गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गैर-सरकारी सदस्य नामित करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

मदन मोहन शर्मा
सदस्य-सचिव, गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति
एवं, उप सचिव

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 1986

सं० 4/13/86-के० से० (1) : निम्नलिखित सेवाओं के ग्रेड-1 की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1986 में की जाने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए सम्मिलित ग्रेड-1 (अवर सचिव) सीमित विभागीय परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों को सहमति से सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

वर्ग-I

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का ग्रेड-1

वर्ग-II

भारतीय विदेशी सेवा, शाखा "ख" के सामान्य संवर्ग का ग्रेड-1

वर्ग-III

रेल बोर्ड सचिवालय का ग्रेड-1

1. प्रत्येक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी ।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा परिशिष्ट में निर्धारित नियमों के अनुसार ली जाएगी ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निश्चित किये जाएंगे ।

3. (क) स्थायी अधिकारी या अन्य ऐसे अधिकारी जिसका नाम नीचे कालम एक में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं की चयन सूची में सम्मिलित कर लिया गया है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का है तथा जिसने 31 दिसम्बर 1985 को कालम 2 में उल्लिखित सेवा से संबंधित शर्तें पूरी कर ली हैं, कालम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग हेतु परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

कालम 1	कालम 2	कालम 3
केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "क"	का केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग वर्ग-I और अधिकारी ग्रेड में अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड (क) अथवा में दोनों में जैसी भी स्थिति हो अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम ना हो	
समान्य संवर्ग का समेकित ग्रेड-III सेवा "ख" के आशुलिपिक संवर्ग का चयन ग्रेड"	सामान्य संवर्ग के समेकित ग्रेड-ii और वर्ग ii और III और या भारतीय विदेश III या भारतीय विदेश सेवा "ख" के आशुलिपिक संवर्ग के चयन ग्रेड अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो	
रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड या रेल बोर्ड आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "क"	रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग वर्ग-III और अधिकारी ग्रेड में अथवा रेल बोर्ड आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" अथवा दोनों में जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो	

टिप्पणी (1)

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" तथा भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के चयन ग्रेड के अधिकारियों के मामले में अनुमोदित सेवा में उक्त सेवा के ग्रेड "ख"/ग्रेड 1 में की गई अनुमोदित सेवा की आधी अवधि शामिल होगी ।

(2) सैनिक ड्यूटी में रहने पर अनुपस्थिति की किसी भी अवधि को उपयुक्त पदों में से किसी भी पद के लिए निर्धारित सेवा काल में गिनने की अनुमति दी जाएगी ।

(3) केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड "क" तथा.

(II) समान्य संवर्ग के समेकित ग्रेड II और III तथा भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के चयन ग्रेड के अधिकारियों को जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से संवर्ग बाह्य पद पर हैं यदि अन्यथा पात्र हों, तो परीक्षा मे प्रवेश की अनुमति होगी । किन्तु यह किसी ऐसे अधिकारी पर लागू नहीं होगा जो किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त हुआ हो अथवा स्थानांतरण पर किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया हो और जिसका (I) और (II) में उल्लिखित अपने ग्रेड में पुर्नग्रहणाधिकार न हो ।

4. परीक्षा में प्रवेश के लिए अथवा अन्यथा किसी बात के लिए उम्मीदवार की पात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

5. किसी भी उम्मीदवार को तब तक परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके पास आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो ।

6. आयोग द्वारा निम्नलिखित कारणों से घोषित दोषी उम्मीदवार को जिसने :-

(1) किसी भी तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने, अथवा

(2) प्रतिरूपण करने, अथवा

(3) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाने, अथवा

(4) जाली अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जिनमें हेर फेर किया हो, अथवा

(5) गलत अथवा असत्य विवरण देने अथवा तथ्य को छिपाने अथवा

(6) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुपयुक्त तरीकों से काम लेने, अथवा

(7) परीक्षा के दौरान अनुचित तरीके अपनाने, अथवा

(8) उत्तर पुस्तिकों (पुस्तिकाओं) में अप्रासंगिक विषय लिखने, जिसमे अश्लील भाषा अथवा अश्लील सामग्री शामिल है अथवा

(9) परीक्षा भवन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने, अथवा

(10) परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करने अथवा उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने, अथवा

(11) उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, या

(12) पूर्वोक्त खण्डों में बताया गया कोई काम करने का प्रयत्न अगर कोई करता हो या इन कामों को करने के लिए किसी को उकसाता हो तो उसके खिलाफ अपराधिक अभियोग तो चलाया ही जा सकता है, इसके अतिरिक्त उसे

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है, अथवा

(ख) (i) आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा अथवा चयन से

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नियोजन से स्थायी रूप से

अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वर्जित किया जा सकता है, और

(ग) समुचित नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक

(1) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो, विचार न लिया गया हो।

7. आयोग जिन उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन के लिए उपयुक्त समझेगा उनके नामों का, जिसमें दोनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सम्मिलित होंगे, योग्यता क्रम में एक ही सूची बनाएगा और इस क्रम से जितने भी उम्मीदवार आयोग द्वारा योग्य माने जाएंगे उनकी चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित संख्या तक अनुशंसा की जाएगी।

टिप्पणी :-

उम्मीदवार को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है ना कि अर्हक परीक्षा।

परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

8.-प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

9.-परीक्षा मे सफल हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से योग्य है।

परन्तु आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

10.-यदि कोई उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्याग पत्र दे देता है अथवा और किसी कारणवश सेवा छोड़ देता है अथवा उससे संबंध विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में स्थानांतरण पद पर नियुक्ति कर दिया जाता है और उसका उपयुक्त नियम 3 (क) के कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं में अपना पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं है तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हो।

बी० बी० चड्ढा,
अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी।

भाग-I निम्नलिखित विषयों पर दो प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा होगी जिनमे से हर एक के 200 अंक रखे गए हैं।

प्रश्न पत्र-I (i) भारत सरकार सचिवालय और संगठन कार्यालयों की प्रक्रिया और पद्धति।

(वर्ग I और II के लिए)

(ii) कार्यालय प्रक्रिया और पद्धति

(वर्ग III के लिए)

प्रश्न पत्र दो भारतीय संविधान तथा शासन तंत्र का सामान्यज्ञान संसदीय पद्धति और प्रक्रिया।

प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 1/2 घण्टे का होगा।

भाग-II आयोग की विवेक पर ऐसे उम्मीदवारों के वांछनीय अभिलेखों का मूल्यांकन तथा साक्षात्कार-200 अंक

2-परीक्षा की पाठ्यचर्या अनुसूची के अनुसार होगी।

3-उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी तथा हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प होगा। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार किए जाएंगे।

टिप्पणी :-I

सभी प्रश्नों के लिए एक सा विकल्प होगा तथा उसी प्रश्न-पत्र में विभिन्न प्रश्नों के लिए अलग-अलग विकल्प नहीं होगा।

टिप्पणी-II

उक्त प्रश्नों-पत्रों का उत्तर हिन्दी देवनागरी में देने का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के सम्बद्ध कालम में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम मान लिया जाएगा तथा उक्त कालम में परिवर्तन करने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी–III

प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि वे चाहें , हिन्दी की परिभाषिक शब्दावली, यदि कोई हो, के साथ अंग्रेजी पर्याय भी कोष्ठक में दे सकते हैं।

4.–उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर स्वयं ही लिखने होंगे। किसी भी स्थिति में उत्तर लिखने के लिए उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं होगी।

5.–आयोग अपनी विवेक्षा पर परीक्षा के लिए किसी एक या सभी भागों के अर्हक अंक निर्धारित करेगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के गोपनीय रिपोर्टों के मूल्यांकन तथा साक्षात्कार में बुलाए जाने पर विचार किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में आयोग की विवेक्षानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक प्राप्त कर लेंगे।

6.–मात्र सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

7.–लिखित विषयों में अस्पष्ट लिखाई के लिए अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक काट लिए जाएंगे।

8.–परीक्षा के सभी विषयों में इस बात पर श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हो।

9. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुसूची

परीक्षा की पाठ्यचर्या

जहां नियमों, आदेशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वह इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

भारत सरकार के सचिवालय सम्बद्ध कार्यालयों का प्रक्रिया और पद्धति (वर्ग I तथा II के लिए)

इसका उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों की प्रक्रिया और पद्धति में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है। इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :–

(i) इस अधिसूचना के समय प्रचलित कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका।

(ii) कार्यालय प्रक्रिया पर सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।

(iii) संघ के सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका।

कार्यालय प्रक्रिया और पद्धति (वर्ग III के लिए)

इसका उद्देश्य रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्यप्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है, इस विषय पर कुछ मार्ग दर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :–

(i) इस अधिसूचना के समय रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा जारी की गई प्रचलित कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका।

(ii) गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई संघ के सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग में संबंधित आदेशों की पुस्तिका।

भारत के संविधान और शासन तंत्र, संसद प्रक्रिया और पद्धति का सामान्य ज्ञान

टिप्पणी :–निम्नलिखित विषयों के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है।

(1) भारत के संविधान के मुख्य सिद्धांत

(2) लोक सभा तथा राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली।

(3) भारत सरकार के शासन तंत्र का संगठन मंत्रालयों विभागों तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के पदनाम तथा उनमें विषयों का आबंटन और उनके परस्पर संबंध।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल, 1986

संख्या 9/4/85-के० से०II—अगस्त, 1986 में कर्मचारी, चयन आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना), केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा भारत निर्वाचन आयोग के सचिवालय के उच्च श्रेणी ग्रेड की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. चयन सूचियों में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जाएगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किए जायेंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है ज. निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान, (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन), आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा, संशोधित किए गए के अनुसार संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति, आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश), आदेश, 1967, संविधान (गोवा दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (संशोधन), अधिनियम, 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का कार्य संचालन इन नियमों के परिशिष्ट, में विहित विधि से किया जाएगा।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जायेगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा।

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो 1 अगस्त, 1986 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, इस परीक्षा में बैठ सकेगा :—

(1) 1 अगस्त, 1986 को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी पांच वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में उसकी 3 वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यदि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम पाँच वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए।

परन्तु यदि भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम के आधार पर हुई हो, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए।

टिप्पणी 1 :—स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी 2 :—अनुमोदित तथा लगातार सेवा की 3 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी, यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी 3 :—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक, जिसमें 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा; अथवा

टिप्पणी 4 :—ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निःसंवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्ति हो उन्हें, अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जाएगा। तथा यह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में निःसंवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों, और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार (लियन) न रखते हों।

(2) आयु :—

(क) यदि वह पैरा 1 में वर्णित किन्हीं भी सेवाओं में स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक है तो 1-8-86 को उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1936 से पूर्व नहीं हुआ हो।

(ख) उपरिलिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1974 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार श्री लंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो, और उसने कीनिया, उगांडा, या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तथा केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रव-ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xi) किसी दूसरे देश के संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रव ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक;

(xii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक;

(xiii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों,

(xiv) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है, तथा भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया है, तो उसके मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक, और

(xv) यदि उम्मीदवार वियतनाम में भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है, तथा भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया हो और वह किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तो उसके मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(xvi) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से आया हुआ विस्थापित हो और पहली जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1973 के दौरान प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष,

(xvii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो और भूतपूर्व पाकिस्तान से आया हुआ विस्थापित है और पहली जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1973 के दौरान प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष जो कि उपरोक्त पैरा (xvi) के अतिरिक्त होगी, और

(xviii) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो तो अधिक से अधिक 10 वर्ष।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जायेगी।

(3) टंकण परीक्षा:—यदि किसी उम्मीदवार को प्रवर श्रेणी ग्रेड में स्थाईकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण-शाला/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कन्ध)/अधीनस्थ सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की मासिक/तिमाही टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाईप की परीक्षा उत्तीर्णकर लेनी चाहिये।

5. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिये दोषी घोषित किर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने:—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छदम रूप से कार्य कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिसमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये है, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाए हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुसूचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे:—

(क) आयोग द्वारा इस परीक्षा, जिसका यह उम्मीदवार, है, के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से, वारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त करने में कोई कोशिश करेगा तो आयोग द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जायेगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिये अयोग्य करार दिया जायेगा।

9. उन उम्मीदवारों को छोड़कर जो इस आयोग की विज्ञप्ति के उपबन्धों के अनुसार फीस माफी का दावा करते हों, बाकी उम्मीदवारों को निर्धारित फीस का भुगतान अवश्य करना चाहिये।

10. आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की पांच अलग-अलग सूचियां तैयार करेगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड का प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गये हों।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सकते, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिये स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनके रैंक का ध्यान किये बिना, यदि वे योग्य हुए तो आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

टिप्पणी:— उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एक्जामिनेशन)। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जाये, इसका निर्णय करने के लिये सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिये कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिये गये उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया जाये।

11. हर उम्मीदार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार की जाये इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि संबंधित प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाये कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार से चयन के लिये उपयुक्त है।

किन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय कि क्या आयोग द्वारा चयन के लिये सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

13. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन पत्र देने के लिये बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निः संवर्गीय पद या दूसरी सेवा में 'स्थानान्तरण" द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और के० म० लि० से०/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निम्न-श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि यह उन अवर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति किया जा चुका हो।

एच० जी० मण्डल,
अवर सचिव,

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

भाग 1.—नीचे परिच्छेद 2 में बताये गये विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग 2:—आयोग द्वारा विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवावृत्तों (रिकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा में ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते है, जिसके बारे में आयोग फैसला करेगा, और इसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे।

2 भाग 1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिये अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा।

विषय	अधिकतम अंक		दिया गया समय
(1) निबन्ध तथा सार लेखन			
(क) निबन्ध	50	100	2 घण्टे.
(ख) सारलेखन	50		
(2) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पद्धति		100	2 घण्टे
(3) सामान्य ज्ञान		100	2 घण्टे

टिप्पणी:—निम्नलिखित तीनों श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिये टिप्पण, प्रारूप लेखन तथा कार्यालय पद्धति के प्रश्न-पत्र अलग-अलग होंगे:—

(1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग।

(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, और

(3) निर्वाचन आयोग।

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्न पत्रों अर्थात् (i) निबन्ध तथा सार लेखन, अथवा (ii) टिप्पणी लेखन मसौदा लेखन और कार्यालय पद्धति, अथवा (iii) सामान्य ज्ञान में किसी एक प्रश्न पत्र का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है।

टिप्पणी 1: यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिये होगा न कि एक ही प्रश्न-पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिए।

टिप्पणी 2: जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी में अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते हैं उन्हें यह बात आवेदन पत्र के कालम 6 में स्पष्ट रूप में लिख देना चाहिए। अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे।

टिप्पणी 3: एक बार रखा गया विकल्प अंतिम माना जायेगा और आवेदन पत्र के कालम 6 में परिवर्तन करने के संबंधित कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी 4: प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिये जायेंगे।

टिप्पणी 5: उम्मीदवारों द्वारा अपनाई गई (आप्ट की गई) भाषा को छोड़कर अन्य किसी भाषा में लिखे उत्तर को कोई महत्व नहीं दिया जायेगा।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालिफाइंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है।

7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिये अंक नहीं दिये जायेंगे।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट दिये जायेंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि भावाभिव्यक्ति कम से कम गलतियों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण

(1) निबन्ध तथा सार लेखन

(क) निबन्ध—विहित कई विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा।

(ख) सार लेखन—सूक्ष्म सार लिखने के लिये सामान्यतः अनुच्छेद दिये जायेंगे।

(2) टिप्पणी व आलेख तथा कार्यालय पद्धतिः—इस प्रश्न-पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बन्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के उम्मीदवारों को चाहिये कि इसके लिये कार्यालय पद्धति का नियम पुस्तक (मैनुअल आफ आफिस प्रासीजर)—सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियां रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट्स आफ बिजिनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उम्मीदवारों को चाहिये कि वे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति संहिता और लोक सभा और राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों की हस्त पुस्तिका और इस प्रयोजन के लिये राज भाषा के प्रयोग से संबंधित भारतीय रेलवे के आदेशों के संकलन का अध्ययन करें।

भारत के निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों को चाहिये कि वे कार्यालय पद्धति की नियम (मैनुअल आफ आफिस प्रोसिजर) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर, टिप्पणियां,

तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्ध गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

(3) सामान्य ज्ञान:—सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशी का भारतीय भूगोल तथा देश के प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों की वर्तमान घटनाओं के प्रति बुद्धिमतापूर्ण जागरूकता जिसकी किसी शिक्षित मनुष्य में अपेक्षा की जा सकती है, की परीक्षा लेना है। प्रत्याशियों के उत्तरों से उनके लिये किन्हीं पाठ्य पुस्तकों प्रतिवेदनों इत्यादि के विस्तृत ज्ञान की अपेक्षा नहीं अपितु उन प्रश्नों को बुद्धिमतापूर्ण तौर पर समझने की क्षमता प्रदर्शित हो।

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1986

सं० 8/5/85-एन० एस०—निम्नलिखित संसद सदस्यों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प सं० एफ० 8/5/85-एन० एस०, दिनांक 4-2-86 द्वारा 31 दिसम्बर, 1987 तक की अवधि के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय केन्द्रीय अचल सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में तत्काल नियुक्त किया जाता है :—

1. श्री जी० बी० गोहिल,
   सदस्य, लोक सभा
2. श्री राम प्रकाश,
   सदस्य, लोक सभा ।
3. श्री राम कुमार मीना,
   सदस्य, लोक सभा ।
4. प्रो० बिमल कांति घोष,
   सदस्य लोक सभा ।
5. श्री ए० सी० षनमुगम,
   सदस्य, लोक सभा ।
6. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव,
   सदस्य, लोक सभा ।
7. श्री सुखदेव प्रसाद,
   सदस्य, राज्य सभा ।
8. डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी,
   सदस्य, राज्य सभा ।
9. श्री वी० नारायण सामी,
   सदस्य, राज्य सभा ।

के० पी० वेंकटेश्वरन, निदेशक (बजट)

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1986

सं० 14(13)/82 ई० पी० जैड०—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 14(13)/82 ई० पी० जैड०, दिनांक 4 जनवरी, 1984 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन प्राधिकरण (एफ० ई० पी० जैड० ए०) को पुनर्गठित करने का विनिश्चय किया है। फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन प्राधिकरण फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन के शीघ्र सृजन, वर्धन तथा विकास के लिए नीति सम्बन्धी सभी प्रमुख मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा ।

2. गठन :

पुनर्गठित फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन प्राधिकरण का गठन निम्नोक्त प्रकार होगा :—

1. वाणिज्य सचिव	अध्यक्ष
2. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य
3. उद्योग सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य
4. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	सदस्य
5. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ।	सदस्य
7. सचिव, जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ।	सदस्य
8. सचिव, नागरिक विमानन विभाग, भारत सरकार	सदस्य
9. सचिव, इलैक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार	सदस्य
10. सदस्य (परिवहन), रेलवे बोर्ड	सदस्य
11. अध्यक्ष, डाक व तार बोर्ड	सदस्य
12. अपर सचिव, वाणिज्य विभाग	सदस्य
13. अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
14. मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात	सदस्य
15. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क ब्यूरो	सदस्य
16. अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक	सदस्य
17. डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, ई० सी० डी०	सदस्य
18. वाणिज्य मंत्रालय में ई०पी० जड० के प्रभारी अधिकारी	सदस्य
19. विकास आयुक्त, फाल्टा ई० पी० जैड०	सदस्य सचिव

3. प्राधिकरण के अध्यक्ष किसी अन्य विभाग/अभिकरण के किसी भी प्रतिनिधि को जिनका साहचर्य इसके कार्यकरण के लिए जरूरी समझा जाए, तदर्थ आधार पर सहयोजित करने और जैसे जब भी आवश्यक हो, उप-समितियां नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत हैं।

आर० सेतुरामन, अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1986

सं० ए-11011/8/85/व्य० 4—औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय के एक असहभागी सम्बद्ध कार्यालय औद्योगिक आकस्मिकता के महानिदेशालय को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, पटना तथा बंगलौर में स्थित है, दिनांक 31 मार्च, 1986 की अपराह्न से बन्द किया जाता है :

चरनदास, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 1986

संकल्प

सं० 5/1/86-पी० वी०—सोन नदी आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में तत्कालीन ऊर्जा एवं सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) के दिनांक 1-3-1980 के संकल्प सं० 19-5-77 डी० डब्ल्यू०-II/पी-तीन के आंशिक संशोधन :—

क्रम सं० (1) पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए —:—

"सदस्य (जल संसाधन), केन्द्रीय जल आयोग"	अध्यक्ष

आदेश

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प को बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकारों, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री कार्यालय तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ भेज दिया जाए।

यह भी आदेश किया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को राज्य के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाए।

श्रीमती बी० सेन, संयुक्त सचिव

कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 1986

संकल्प

सं० 23/41/85-सी० सी०—सरकार ने परियोजना कार्यान्वियन से संबंधित प्रमुख मुद्दों का समाधान करने हेतु कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय की मदद करने के लिये तत्काल एक परियोजना कार्यान्वियन सलाहकार परिषद का गठन करने का फैसला किया है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. श्री रतन एन० टाटा, अध्यक्ष, टाटा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	अध्यक्ष
2. श्री एस० पी० आचार्य, अध्यक्ष, एसोचैम तथा अध्यक्ष, शाह वैलेस एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	सदस्य
3. श्री ए० के० खोसला, अध्यक्ष, जी० ई० सी०, पावर इंजीनियरिंग सर्विस आफ इण्डिया लि०, नई दिल्ली तथा प्रबन्ध निदेशक, इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी लि०।	सदस्य
4. डा० एम० बी० अतैय, डी० बी० ए० (हर्वड) भूतपूर्व प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट/लन्दन बिजनेस स्कूल, प्रबन्ध सलाहकार, भतैय प्रबन्ध प्रणाली, नई दिल्ली	सदस्य
5. श्री ध्रुव एम० साहनी अध्यक्ष, दी त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, नई दिल्ली।	सदस्य
6. डा० परविन्द्र सिंह, प्रबन्ध निदेशक, रनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि०, नई दिल्ली।	सदस्य

2. परिषद एक सलाहकार निकाय होगी। विशेषकर परिषद कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय को (क) परियोजना कार्यान्वियन प्रणाली में सुधार लाने और (ख) संगठनात्मक विकास के लिये सलाह देगी।

3. परिषद् को, कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय द्वारा सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी अन्य संबंधितों को भेजी जाये।

पी० के० बासु, सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 1986

संकल्प

सं० एन०-11013/1/86-आवास-1—इस समय देश में बारह ग्रामीण आवास स्कन्ध हैं जो कि बंगलौर, चण्डीगढ़, गुवाहाटी, हावड़ा, जोधपुर, मद्रास, रांची, शिमला, श्री नगर, त्रिवेन्द्रम, वल्लभ विद्या नगर, (गुजरात) और वाराणसी में स्थित हैं। तेरहवां स्कन्ध हाल ही में नागपुर में स्थापित किया गया है। भारत सरकार कुछ समय से देश में कुछ और इस तरह के ग्रामीण आवास स्कन्धों को स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करती आ रही है। मध्य प्रदेश राज्य के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से, अब भोपाल, में तत्काल ही एक आवास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय कर लिया है।

2. यह आवास विकास केन्द्र राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के नियंत्रण तथा निदेशों के अन्तर्गत कार्य करेगा जो कि उन्हें सहायता अनुदान के के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

3. इस केन्द्र का प्रधान एक निदेशक (अवैतनिक आधार पर) होंगे जिनकी सहायता समान्य रूप से प्रभारी अधिकारी और अन्य तकनीकी स्टाफ करेंगे। इस सकन्ध का स्टाफ उस संस्थान (विभाग) पर लागू सेवा शर्तों से प्रशासित होगा जिसके साथ वह सम्बद्ध किए जाते हैं।

4. इस विकास आवास केन्द्र में कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) अनुसंधान और स्थानीय भवन निर्माण सामग्रियों और निर्माण तकनीकों तथा ग्रामीण मकानों के डिजाइन को प्रोत्साहन देना।

(ii) विकासित सामग्रियों तथा तकनीकों के प्रयोग के बारे में प्रचार करना।

(iii) चयनित ग्रामों मे पर्यावरणीय सुधार सहित प्रदर्शन मकानों के समूह का निर्माण।

(iv) ग्रामीण आवास परियोजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं की योजना तथा निष्पादन पर लगे तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षित तथा प्रोत्साहित करना।

(v) समय-समय पर यथा निर्णीत ग्रामीण आवास से सम्बन्धित अन्य किसी गतिविधि को चलाना।

5. भोपाल का यह आवास विकास केन्द्र रीजनल इंजीनियरी कालेज, भोपाल के साथ सम्बद्ध होगा।

आदेश

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, नई दिल्ली (25 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

2. सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली।

3. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।

4. प्रधानाचार्य रीजनल इंजीनियरी कालेज, भोपाल।

आई० चौधुरि, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 16th April 1986

No. 41-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Names and rank of the Officers

Shri Mohammad Israil,
Sub-Inspector of Police,
District Bettiah.

(Posthumous)

Shri Satyanarain Prasad,
Constable No. 229,
District Bettiah.

(Posthumous)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 14th September, 1983 the Forest Range Officer, Valmikinagar sent a written report to Valmikinagar Police Station that outlaw Munna Khan of Nepal alongwith his associates had crossed over to Indian side (Madanpur forest Beat No. 26) with a Tractor and was engaged in cultivating the land after cutting the trees. The local forest officers went there, arrested the driver and Khalasi of the Tractor and produced them to Valmikinagar Police Station for legal action.

The Valmikinagar Police Station again received information that criminal Munna Khan; in retaliation, had kidnapped two forest guards, and had taken them towards Nepal territory. Shri Modh. Israil, Officer-in-Charge, Valmikinagar alongwith a section of armed force and four Home Guard Jawans rushed to the place to rescue the forest guards. While proceeding through dense forest, they located Munna Khan and party alongwith the kidnapped forest guards. While proceeding through dense forest, they locathem to release the kidnapees. On this, Munna Khan alerted Munna Khan and party alongwith the kidnapped forest weapons and attacked the Police party. The Police also opened fire in self defence and rescued the two forest guards. Due to heavy firing by the criminals, Sub-Inspector Mohd. Israil, Constable Satyanarain Prasad and a Home Guard Jawan were killed. On the other side one criminal namely Mohd. Mohammaddin was killed on the spot.

In this incident, Shri Mohammed Israil, Sub-Inspector and Shri Satyanarain Prasad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th September, 1983.

No. 42-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Industrial Security Force :—

Name and rank of the officer

Shri Ved Prakash Tiwari,
Sub-Inspector/Exe.,
CISF Unit,
ASP Durgapur.

(Posthumous)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 28th December, 1983, Shri Ved Prakash Tiwari, Sub-Inspector, alongwith a CISF raiding party went to Neturia Police Station to verify the whereabouts of Assistant Sub-Inspector B. C. Das, who had reportedly been gheraoed by the villagers of Neturia when Shri Das had seized trucks loaded with illegally mined coal. As the party headed by Shri Tiwari came near the Police Station, they found a mob of about 700 to 800 persons surrounding the Police Station, On seeing the CISF party, the mob became furious and started throwing brick-bats and other weapons on the CISF part. However, the mob was chased away and Sub-Inspector Tiwari entered the Police Station to rescue Shri Das. When Shri Tiwari and CISF personnel came out of the Police Station, there was heavy brick-batting once again and some weapons of offence were also thrown at them. As a result of this, five CISF personnel were injured. In the meantime a missile hit Shri Tiwari on the head and he fell down. There was a deep injury on the skull causing severe haemorrhage of the brain and Shri Tiwari died almost instantaneously. An axe and an iron hammer were lying by the side of Shri Tiwari.

Shri V. P. Tiwari, Sub-Inspector thus displayed conspicuous courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rule 5, with effect from the 28th December, 1983.
quently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 28th December, 1983.

No. 43-Pres/86.—The President is pelased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Sakaldeo Singh,
Constable No. 1511, C.P.

P.S. Saran Aqil,
District Allahabad.

(Posthumous)

Statement of service for which the decoraton has been awarded.

On the 7th May, 1984, Constable Sakaldeo Singh, who was detailed for pursuing a case in the Courts at Sadar, Allahabad, boarded a bus to reach the Courts. About 75 passenger were also travelling in the same bus. The bus was over-loaded and a large quantity of luggage including grains and cycles were loaded on the roof of the bus. When the bus reached near village Bhagwatpur, it had to be diverted on a side 'kuchha road' as a culvert on the main road lay damaged. When the bus was negotiating this diversion, its roof top touched a high tension electric wire on Asrawal Kalan feeder. Anticipating the disaster, the driver of the bus jumped out shouting that the bus had caught electric fire and the passengers should come out of the bus. This alarm created confusion and panic amongst the passengers, who started pushing each other to jump out. In the meantime, the live electric wire broke down and fell on the ground on the left side of the bus causing imminent danger of electrocution. At this point, Constable Sakaldeo Singh stood up to the call of time and, in utter disregard to his personal safety, started throwing out-to-safety his co-passengers from the front window. By the time he could save 10 passengers, he noticed that the whole bus had caught fire. Had he wished he could also have jumped to safety but he preferred to save the lives of four children trapped inside the bus. He, without losing time, threw all the children out of the bus. In the process of throwing out fourteen co-passengers to safety Shri Sakaldeo Singh exhausted his energies and had also received some burn injuries. Unfortunately his body got entengled in a Corpse lying on the ground though which electric current was flowing and he died on the spot due to electrocution. In this incident 35 persons, including Constable Sakaldeo Singh died and the entire luggage was burnt to ashes.

In this incident, Shri Sakaldeo Singh, Constable, displayed conspicuous courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 7th May, 1984.

No. 44-Pres/86.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Manipur Rifles :—

Name and rank of the Officer

Shri Ahanthem Romen Kumar Singh,
Commandant,
1st Bn. Manipur Rifles,
Imphal.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 8th December, 1984, the Chief Minister of Manipur was proceeding towards Litan and Phungyar by road.

Due to threat of Naga Socialist Council of Nagaland (NSCN), one platoon of armed escort including Shri Ahanthem Romen Kumar Singh, Commandant, 1st Bn, Manipur Rifles was detailed for duty. After crossing the Lsishi Village, the entire escort party was ambushed by the extremists with heavy fire from automatic weapons, hand grenades and mortars and severe damage was caused to the escorting party. As the jeep of the Commandant was fired upon, he jumped out and took position on the right side of the road and returned the fire with his pistol. The escoriting party despite danger to their lives, crawled towards the location of the VIP through showers of bullets. While some Police personnel gave cover to the Chief Minister. The others took him out of the jeep to safety. Thereafter Shri Ahanthem Romen Kumar Singh alongwith his party charged towards the hillside from where fire was coming but the extremists managed to escape through thick jungles.

In this encounter, Shri Ahanthem Romen Kumar Singh, Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a hgh order.i

Ths award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th December, 1984.

No. 45-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Names and rank of the Officers

Shri Nirmal Chandra Dhoundial,
Assistant Supdt. of Police,

Shri Maniklal Pradhan,
Constable No. 734,
BMB-I, Ronchi.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 17th May, 1983 information was received in Belaganj Police Station that notorious criminal gang of Ranjit Bharti was camping in the hilly terrain of Barabar and were planning to attack and loot Kharagpur village. A strong Police party was organised under the leadership of Shri Nirmal Chandra Dhoundial, Assistant Supdt. of Police. The raiding party reached Kharagpur village the same night. Hearing the whisper of the dacoits, the raiding party took position in a dry ditch and challenged them to disclose their identity. The challenge was met with a volley of bullets. The Police party again asked them to surrender and stop firing but of no avail. An illuminating cell was bursted to locate the exact position of the criminals. In this light, about 15 dacoits were spotted, who were all armed with rifles, guns etc. Constable Manik Lal Pradhan, alongwith another armed Constable and a Sgt. Major jumped out of the ditch to move to a better position In this move Constable Pradhan was hit by bullets in his thigh. The Police opened fire in self defence. In the exchange of fire Ranjit Bharti and his brother Umal Bharti fell to Police bullets. This was disclosed in the flare of another round of the light pistol, when some of the criminals were seen taking to their heels.

In this encounter, Shri Nirmal Chandra Dhoundial, Asstt. Superintendent of Police and Shri Maniklal Pradhan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th May, 1983.

No. 46-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Gian Singh,
Superintendent of Police,
Rural Areas, Agra.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 4th February, 1984, information was received that the gang of Kartar Mallah was planning to commit a dacoity in the house of Shri Goverdhan Lal of village Khadarpura and to kidnap his son. Shri Gian Singh, Supdt. of Police, Agra organised a raiding party and left for the house of Shri Goverdhan Lal. He divided the force into small parties and himself took the position on the roof-top of the house. The other parties were positioned inside the house, on the roof-tops of nearby houses and tube-well. At about 8.00 p.m. the criminals came and tried to enter the house but were challenged by the Supdt. of Police Gian Singh, to surrender. In response, the criminals, opened fire on him, who had a narrow escape. Shri Gian Singh returned the fire and the dacoits had to take cover. The gang leader made an abortive attempt to overpower the Police party led by Shri Gian Singh by climbing up the stairs, under the cover of fire by his associates, but Shri Singh fired at Kartar Mallah, who fell down. The Police party inside the house gave cover fire to Shri Singh. The dacoits cried that the Mukhiya (gang leader) had received bullet injuries. Immediately, thereafter, firing from dacoits stopped and the Police party was deputed to chase the remaining criminals. On search it was found that Kartar Mallah and his six associates were killed in the encounter. One semi-automatic English rifle, two .315 bore factory made guns, one DBBL factory made gun, 2 SBBL foreign made guns, one SBBL country made gun and huge ammunition was recovered from their possession.

In this encounter, Shri Gian Singh, Superintendent of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th February, 1984.

No. 47-Pres/86.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Names and rank of the officers

Shri Zainuddin Khan,
Sub-Inspector of Police,
SHO Belaganj,
District Gaya.

Shri Janki Prasad Gupta,
Sgt. Major,
Gaya.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 17th May, 1983 Shri Zainuddin Khan, Officer-in-Charge of Belaganj Police Station received information that the notorious gang of Ranjit Bharti was camping in the hilly terrain of Barabar and were planning to attack and loot Kharagpur village. A strong Police party was organised under the leadership of Assistant Superintendent Police. The raiding party reached Kharagpur village the same night. Hearing the whisper of the dactoits, the raiding party took position in a dry ditch and challenged them to disclose their identity The challenge was met with a volley of bullets. The Police party again asked them to surrender and stop firing but of no avail. An illuminating cell was bursted to locate the exact position of the criminals. In this light, about 15 dacoits were spotted, who were armed with rifles, guns etc. Sgt. Major Janki Prasad Gupta and another constable jumped out of the ditch to move to a better position. In this move the Constable was hit by bullets in his thigh The Police opened fire in self defence. In the exchange of fire Ranjit Bharti and his brother Umal Bharti fell to Police bullets. This was disclosed in the flare of another round of the light pistol, when some of the criminals were seen taking to their heels.

In this encounter, Shri Zainuddin Khan, Sub-Inspector of Police and Shri Janki Prasad Gupta, Sgt. Major displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Bar to the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th May, 1983.

No. 48-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Manipur Rifles/Police :—

Names and rank of the Officers

Shri Wahengbam Dhiren Singh,
Head Constable, Manipur Police.

Shri Potsangbam Gopal Singh,
Lance Naik No. 13081,
1st Bn., Manipur Rifles.

Shri G. Shingba Rongmei,
Constable No. 2166.

Shri Gotimayum Ibochouba Sharma,
Constable No. 2094.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 8th December, 1984, the Chief Minister of Manipur was proceeding towards Litan and Phungyar by road. Due to threat of Naga Socialist Council of Nagaland (NSCN), one platoon of armed escort including Head Constable Wahengbam Dhiren Singh, L/Naik Gopal Singh, Constables G. Singha Rongmei and Gotimayum Ibochouba Sharma, was detailed for duty. After crossing the Leishi village, the entire escort party was ambushed by the extremists with heavy fire from automatic weapons, hand grenades and mortars and severe damage was caused to the escorting party. In the encounter, two L/Naiks and two Riflemen received bullet injuries and died on the spot. Six riflemen were also injured. The DIG (Hills), who was also with the convoy party received grenade splinters. As the jeep of the Commandant was fired upon, he jumped out of it and took position on the right side of the road and returned the fire with his pistol. These officers/men, despite great danger to their lives, crawled towards the location of the VIP through showers of bullets. Shri Dhiren Singh, Head Constable, Shri P. Gopal Singh, L/Naik, Shri G. I. Sharma, Constable (Drivers), and Shri G. S. Rongmei, Constable, gave cover to the Chief Minister while others took him out of the jeep to safety. Thereafter the Commandant, 1st Battalion, Manipur Rifles, alongwith his party charged towards the hillside from where fire was coming but the extremists managed to escape through thick jungles.

In this encounter Shri Wahengbam Dhiren Singh, Head Constable, Shri Potsangbam Gopal Singh, L/Naik, Shri G. Shingba Rongmei, Constable and Shri Gotimayum Ibochouba Sharma, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th December, 1984.

K. C. SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 1st April 1986

RESOLUTION

No. 20012/1/84, Hindi II.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 20012/1/84-Hindi-II, dated 26th June & 30th Sept., 1985 and 13th March, 1986, Govt of India nominate Shri Kishan Chand Agarwal as ono-official Member of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Home Affiairs.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to he Members of the Samiti President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Comroller and Auditor General of India, the Lok Sabha Secretariat and the Raiya Sabha Secretariat.

ORDERED also that Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

M. M. SHARMA,
Member-Secretary
Hindi Salahakar Samiti of the Ministry
of Home Affairs &
Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 26th April 1986

RULES

No. 4/13/86-CS.I.—The rules for a combined Grade-I (Under Secretary) Limited Departmental Competitive Examination for Scheduled Caste/Scheduled Tribe Candidates to be held in the Union Public Service Commission in 1986 for additions in the Select Lists for Grade-I of the Services mentioned below are, with the concurrance of the Ministries concerned published for general information.

CATEGORY—I

Grade—I of the Central Secretariat Service.

CATEGORY—II

Grade—I of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'.

CATEGORY—III

Grade—I of the Railway Board Secretariat Service.

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List for each grade will be specified in the Notice issued by the Commission.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Permanent Officers or any Officer whose name has been included in the Select List of the grades and services mentioned in Column 1 below who belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and who on 31st December, 1985 satisfy the conditions regarding length of service mentioned in Column 2 shall be eligible to appear at the examination for the category of service mentioned in Column 3.

Column 1	Column 2	Column 3
(1)	(2)	(3)
Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service and/or Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 4 years approved and continuous service in the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service or in Grade 'A' of the Central Secretariat at Stenographers' Service or in both as the case may be.	Category-I
Integrated Grades II and III of the General Cadre and/or Selection Grade of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service 'B'.	Not less than 4 years approved and continuous service in integrated Grades II and III of the General Cadre or in Selection Grade of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service 'B' or in both as the case may be.	Category-II

1	2	3
Section Officer's Grade of Railway Board Secretariat Service and/or Grade 'A' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Not less tan 4 years approved and continuous service in the Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service or in Grade 'A' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be.	Category-III

NOTE (1) : In the case of Grade 'A' Officers of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service and Selection Grade of the Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service, Branch (B), the approved service shall include half of the approved service rendered in Grade 'B'/Grade-I of that service.

NOTE (2) : Any period of absence on Military duties may be allowed to be counted towards the prescribed length of service in any of the above posts.

NOTE (3) : (i) Section Officers of the Central Secretariat Service/Railway Board Secretariat Service and Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers Service, and (ii) Officers of the Integrated Grade II and III of the General Cadre and Selection Grade of Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service Branch (B), who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted at the examination if otherwise eligible.

Provided that it shall not apply to an Officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien in the respective Grade mentioned at (i) and (ii).

4. The decision of the Commission as the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

5. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

6. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means or

(ii) Impersonating; or

(iii) Procuring impersonation by any parson; or

(iv) Submitting fabricated document or documents which have been tampered with; or

(v) Making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) Using unfair means during the examination; or

(viii) Writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter in the script(s); or

(ix) Misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) Harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) Violating any of the instructions issued to candidates alongwith their Admission Certificate permitting them to take the examination; or

(xii) Attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the act specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period —

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except aftre :—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

7. The names of the candidates who are considered by the Commission to be suitable for selection on the result of the examination shall be arranged in the order of merit in a single list for candidates belonging to both the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and in that order as many candidates as are found by the Commission to be qualified, shall be recommended for inclusion in the Select Lists, upto the required number.

NOTE : Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

8. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

9. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for Selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

10. Candidates who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the grades and Services mentioned in Column I of the Rule 3 above will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

B. D. CHADHA, Under Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part-I :—Written examination consisting of two papers in the following subjects each carrying 200 makrs :—

Paper I :—(i) Procedure & Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices.

(For Categories I and II)

(ii) Office Procedure & Practice.

(For Category III).

Paper II : —General knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government, Practice & procedure in Parliament.

The papers will be of 2½ hours duration each.

Part II :—Evaluation of CRs and Interview of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion—200 marks.

2. Syllabus of the examination will be as shown in the Schedule.

3. Candidates are allowed the option to answer the papers either in English or in Hindi (Devanagari). Question Papers will be set in English and Hindi.

NOTE (1) :—The option will be same for all the questions and not for different questions in the same paper.

NOTE (2) :—Candidates desirous of exercising the option to answer the papers in Hindi (Devanagari), should indicate their intention to do so in the relevant Column of the Application Form. Otherwise it would be assumed that they would answer all papers in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said Column shall be entertained.

NOTE (3) :—Candidates exercising the option to answer the papers in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or all the Parts of the examination. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion will be considered for evaluation of CRs and called for Interview.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination.

9. Candidates should use only Internation Form of Indian Numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

Where knowledge of the Rules, Orders, Instructions etc. is required, candidates will be expected to be conversant with amendments issued upto the date of notification of this examination.

PROCEDURE & PRACTICE IN GOVERNMENT OF INDIA SECRETARIAT AND ATTACHED OFFICERS :

(For categories I and II)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and Attached Offices. Some guidance on the subject can be obtained from —

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification.

(ii) Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.

(iii) "Hand Book on Orders regarding use of Hindi for Official purposes of the Union" issued by the Ministry of Home Affairs.

OFFICE PROCEDURE & PRACTICE :

(For category III)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Ministry of Railways (Railway Board). Some guidance on the subject can be obtained from —

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification issued by the Ministry of Railways (Railway Board).

(ii) "Hand Book of Orders regarding use of Hindi for Official purposes of the Union" issued by the Ministry of Home Affairs.

GENERAL KNOWLEDGE OF THE CONSTITUTION OF INDIA AND MACHINERY OF GOVERNMENT, PRACTICE AND PROCEDURE IN PARLIAMENT :

NOTE : Knowledge of the following will be expected (i) the main principles of the Constitution of India, (ii) Rules of Procedures and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and (iii) the organisation of the Machinery of Government of India designation and allocation of subjects between Ministries, Departments and Attached and Subordinate Offices and their relation interse.

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

RULES

New Delhi, the 26th April, 1986

No. 9/4/85-CS II.—The Rules for a Limited Departmental Competitive Examination for inclusion in the Select Lists for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service, Department of Tourism (Headquarters Estt.), Central Vigilance Commission and Secretariat of Election Commission of India to be held by the Staff Selection Commission in August 1986 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select Lists will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Govt. from time to time in this regard Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes), Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli), Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitutioin (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978, and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or Railway Board Secretariat Clerical Service, or the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or Central Vigilance Commission or the Election Commission of India

who on the 1st August 1986 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination.

(1) Length of Service

He should have on the 1st August, 1986 rendered an approved and continuous service of not less than 5 years in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or Railway Board Secretariat Clerical Service or in the post of Lower Division Clerk in the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or in the Central Vigilance Commission or an approved and continuous service of not less than 3 years in the post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India :

Provided that if he had been appointed to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service or the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or the Central Vigilance Commission on the results of a competitive examination, including a Limited Departmental Competitive Examination the results of such examination should have been announced not less than 5 yeas before the crucial date and should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that Grade :

Provided that if he had been appointed to a post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India on the results of a Competitive Examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than 5 years before the crucial date and should have rendered dered not less than 2 years approved and continuous service in that Grade

Note 1.—The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or the Central Vigilance Commission.

Note 2.—The limit of 3 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

Note 3.—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or of the Secretariat of Election Commission of India or of Department of Tourism (Headquarters Estt.) or of Central Vigilance Commission who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

Note 4.—Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This however does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed to an ex-cadre post or to another Services on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Secretariat of Election Commission of India or the Department of Tourism, (Headquarter Estt.) or the Central Vigilance Commission.

(2) *Age*—

(a) He should not be more than 50 years of age on 1st August, 1986 i.e. he must not have been born earlier than 2nd August, 1936, if he is a permanent or regularly appointed Lower Division Clerk of any of the Services mentioned in para 1 above.

(b) The upper age limit prescribed above will be further relaxable—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and has migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiv) upto a maximum of three years if the candidate is bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India, not earlier than July, 1975;

(xv) upto a maximum of eight years if the candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India not earlier than July, 1975;

(xvi) upto a maximum of 3 years if a person is displaced from the erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period from 1st January, 1971 to 31st March, 1973;

(xvii) upto a maximum of 5 years in addition to the relaxation as at (xvi) above if a candidate belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe and displaced from the erstwhile West Pakistan and has migrated to India during the period from 1st January, 1971 to 31st March, 1973; and

(xviii) upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

(3) Typewriting Test : Unless exempted from passing the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training and Management (Examination Wing)/Subordinate Service Commission/Staff Selection Commission for the purpose of confirmation in the Lower Division Grade, he should have passed this test on or before the date of notification of the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period:

(i) by the Commission from any examination or Selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the prescribed fee except those who are claiming fee concession in terms of provisions in the Commission's notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in five separate lists in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade upto the required number;

Provided that the candidate belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely, within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in his examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection :

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken in consultation with the Department of Personnel and Training.

13. A Candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism (Headquarters Estt.)/Central Vigilance Commission or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by the Department or, who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism (Headquarters Estt.)/Central Vigilance Commission will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

H. G. MANDAL, Under Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I.—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II.—Evaluation of record of service of such of the candidates who attain at the written examination, a minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

Subject		Maximum Marks	Time allowed
(i) Essay and Precis Writing			
(a) Essay	50	100	2 hours.
(b) Precis Writing	50		
(ii) Noting and Drafting and Office Procedure		100	2 hours.
(iii) General Knowledge		100	2 hours.

NOTE.—There will be separate papers on Noting, Drafting and Office Procedure for candidates belonging to the three categories, viz.

(i) C.S.C.S., Department of Tourism (Headquarters Estt.) and Central Vigilance Commission.

(ii) R.B.S.C.

(iii) Election Commission.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule below.

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers viz., (i) Essay and Precis Writing or (ii) Noting and Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or in English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form; otherwise, it would be presumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3.—The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in Column 6 of the application form shall ordinarily be entertained.

NOTE 4.—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

NOTE 5.—No credit will be given for answer written in a language other than the one opted by the candidate.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowlege.

8. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of Examination

1. Essay and Precis Writing :

(a) Essay—An essay to be written on one of the several specific subjects.

(b) Precis Writing—Passages will usually be set for summary or precis.

2. Noting and Drafting and Office Procedure—The paper on Noting and Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidates knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts.

Candidates belonging to Central Secretariat Clerical Service, Department of Tourism (Headquarters Estt.) and Central Vigilance Commission are required to study the manual of Office Procedure Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management—the Rules of Procedure and Conduct or Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purposes of the Union for this purpose.

Candidates belonging to Railway Board Secretariat Clerical Services are required to study the Manual of Office Procedure issued by the Railway Board and the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for official purposes of the Union and the Indian Railways Compendium of Orders regarding use of Official Language for this purpose.

Candidates belonging to Election Commission of India are required to study the Manual of Office Procedure, Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purpose of the Union for this purpose.

3. General Knowledge.—The paper on General Knowledge will be intended inter alia to test the candidates knowledge of Indian Geography as well as the country's administration as also intelligent awareness of current affairs both national and international which an educated person may be expected to have. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, reports etc.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 1st April 1987

No. 8/5/85-N.S.—The undermentioned Members of Parliament are appointed with immediate effect as the Members of the Re-constituted National Central Savings Advisory Board for the period upto 31st December, 1987 vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Resolution No. F.8/5/85-N.S. dated 4th February 1986 :—

1. Shri G. B. Gohil,
Member, Lok Sabha.
2. Shri Ram Prakash,
Member, Lok Sabha.
3. Shri Ram Kumar Meena,
Member, Lok Sabha.
4. Prof. Bimal Kanti Ghosh,
Member, Lok Sabha.
5. Shri A. C. Shanmugam,
Member, Lok Sabha.
6. Shri V. Kishore Chander S. Dev,
Member, Lok Sabha.
7. Shri Sukhdev Prasad,
Member, Rajya Sabha.
8. Dr. (Smt.) Sarojini Mahishi ,
Member, Rajya Sabha.
9. Shri V. Narayansamy,
Member, Rajya Sabha.

K. P. VENKATESHWARAN, Director (Budget)

MINISTRY OF COMMERCE

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 31st March 1986.

No. 14(12)/82-EPZ.—In Partial modification of this Ministry's Notification No. 14 (13)/82-EPZ, dated 4th January, 1984, Government of India have decided to reconstitute the Falta Export Processing Zone Authority (FEPZA). The FEPZA will deal with all major policy issues for speedy creation, growth and development of Falta Export Processing Zone.

2. *Composition*

The composition of the reconstituted FEPZA will be as under :

Chairman

1. Commerce Secretary.

Members

2. Chief Secretary, Govt, of West Bengal.
3. Industry Secretary, Govt. of West Bengal.
4. Secretary, Department of ECONOMIC Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India, New Delhi.
5. Secretary, Department of Expenditure Ministry of Finance, Govt. of India.
6. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Ministry of Industry Government of India.

7. Secretary Ministry of Shipping & Transport, Govt. of India.
8. Secretary, Deptt. of Civil Aviation, Govt. of India.
9. Secretary, Deptt. of Electronics, Govt. of India.
10. Member (Transportation), Railway Board Chairman, P&T Board.
11. Chairman, P&T Board.
12. Addl. Secretary, Department of Commerce.
13. AS&FA, Ministry of Commerce.
14. Chief Controller of Imports & Exports.
15. Chairman, CBEC.
16. Chairman, IDBI.
17. Deputy Governor, Reserve Bank of India, ECD.
18. Officer-in-charge of EPZ In Ministry of Commerce. Member Secretary.
19. Development Commissioner, Falta EPZ.

2. The Chairman of the Authority is authorised to coopt on adhoc basis any representative of any other Department| agency whose association is considered essential to its working and to appoint Sub-Committees as and when required.

R. SETHURAMAN
Under Secy

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 31st March 1986

No. A. 11011/8/85-E.IV.—The Directorate General of Industrial Contingency, a non participating attached office of the Department of Industrial Development, Ministry of Industry, with its Headquaters at New Delhi and Regional Offices at New Delhi, Patna and Bangalore, stands closed with effect from the afternoon of the 31st March, 1986.

CHARAN DASS, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 25th March 1986

RESOLUTION

No. 5/1/85-P.II.—In partial modification of the erstwhile Ministry of Energy and Irrigation (Department of Irrigation) No. 19/5/77-DW.II/P.III dated 1-3-1980 setting up of the Sone River Commission :-

The following may be substituted for the existing entry at Serial No. (i) :

Chairman

"Member (Water Resources), Central Water Commission".

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to the State Government of Bihar. Madhya pradesh and Uttar Pradesh, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office the Comptroller and Auditor Genera of India, the Planning Commission and all Ministries/Departments of the Central Government for information

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Government of Bihar. Madhya Pradesh and Uttar Pradesh be requested to publish it in the State Gazette for general information.

Mrs. B. SEN, Jt. Secy.

MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 17th April 1986

RESOLUTION

No. 23/41/86-CC.—The Government have decided to constitute, with immediate effect, an ADVISORY COUNCIL ON PROJECT IMPLEMENTATION for assisting the Ministry of Programme Implementation in tackling major issues concerning project implementation, with the following Members :—

Chairman

1. Shri Ratan N. Tata,
Tata Industries Limited, Bombay.

Members

2. Shri S. P. Acharya,
President, ASSOCHAM &
Chairman, Shaw Wallace & Co.,
Calcutta.

3. Shri A. K. Khosla,
Chairman, GEC Power Engineering
Services of India Ltd., New Delhi &
Managing Director,
English Electric Company Ltd.

4. Dr. M. B. Athreya, DBA (Harvard)
Formerly, Professor, Indian Institute of
Management/London Business School,
Management Adviser,
Athreya Management Systems,
New Delhi.

5. Shri Dhruv M. Sawhney,
President,
The Triveni Engineering Works Ltd.,
New Delhi.

6. Dr. Parvinder Singh,
Managing Director,
Ranbaxy Laboratories Limited,
New Delhi.

2. The Council will be an advisory body. In particular, the Council will advise the Ministry of Programme Implementation on (a) improvement in project implementation system and (b) organisational development.

3. The Council will be serviced by the Ministry of Programme Implementation.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India and all other concerned.

P. K. BASU, Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 20th March 1986

RESOLUTION

No. N-11013/1/86-HT.—At present there are twelve Rural Housing Wings in the country situated at Bangalore, Chandigarh, Gauhati, Howrah, Jodhpur, Madras, Ranchi, Simla, Srinagar, Trivandrum, Vallabh Vidya Nagar (Gujarat) and Varanasi. The thirteenth Wing has only recently been set up in Nagpur. The Government of India have been considering for some time the question of setting up more such housing in different parts of the country. In order to give a boost to Housing activities for the economically weaker section both in the rural and urban areas of the State of Madhya Pradesh, it has now been decided to establish with immediate effect a Housing Development Centre at Bhopal.

2. The Housing Development Centre will function under the control and direction of the National Buildings Organisation who will provide them financial assistance in the form of grants-in-aid.

3. The Centre will be headed by a Director (Honorary) who will generally be assisted by Officer-in-charge and other technical and supporting staff. The staff of the Wing will be governed by the service conditions applicable to the institution (department) to which they are attached.

4. The function of the Housing Development Centre will be :—

(i) To promote research and the use of local building materials and construction techniques and designing of rural and urban houses.

(ii) To propagate the use of improved materials and techniques.

(iii) To construct clusters of demonstration houses along with environmental improvements in selected villages.

(iv) To train and orient the technical personnel employed on planning and execution of projects under the rural and urban housing project schemes.

(v) To carry out any other activity connected with Rural/Urban Housing as may be decided from time to time.

5. The Housing Development Centre at Bhopal will be attached with the Regional Engineering College, Bhopal.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated

1. Director, NBO, New Delhi (25 spare copies).
2. Secretary, Planning Commission, New Delhi.
3. Chief Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
4. Principal, Regional Engineering College, Bhopal.

I. CHAUDHURI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI. 1986